

John - \$ 100.

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED NO. D (D.N.)-72

Missing No. 2 - 14.2 Nov. 1984

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART III—Section 4

भाग III—खण्ड 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

NO. 1]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 2, 1984/पौष 12, 2003
No. 1] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 2, 1984 PAUSA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

संयुक्त वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1984

फाइल नं. म. वे. का. 3/एच.आर.ए. /1981-82 गी. ऐम्प्ल्ड 81 —भाण्डागारण
निगम अधिनियम, 1962 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
संयुक्त वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, केंद्रीय सरकार की पूर्व मजूरी से केंद्रीय भाण्डा-
गारण निगम (कर्मचारी बंद) विनियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए एतद्-
द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् —

1 इस विनियम का नाम 'केंद्रीय भाण्डागारण निगम (कर्मचारी बंद) पहला
संशोधन विनियम, 1981' है।

2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होगा ।

केंद्रीय भाण्डागारण निगम (कर्मकारी बृद्ध) विनियम, 1966 के विनियम 15 के, उपविनियम (2) के अधीन दी गई सारणी में प्रवर्ग 'क' के नीचे शहर या नगर से संबंधित 'क—कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद' शब्दों के लिए 'क—कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, अहमदाबाद और बंगलौर' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

वी. के. पार्थसारथी, कार्मिक प्रबन्धक

नोट पिछले संशोधनों के लिए कृपया देखें :

(का. आ. संख्या 3465 दिनांक 23-9-1967, संख्या 2032 दिनांक 31-5-1968, संख्या 478 दिनांक 30-1-1969, संख्या 3146 दिनांक 2-8-1969, संख्या 3665 दिनांक 5-9-1969, संख्या 1652 दिनांक 25-4-1970, संख्या 3242 दिनांक 20-11-1974, संख्या 1395 दिनांक 9-4-1975, संख्या 1553 दिनांक 19-4-75, संख्या 3159 दिनांक 26-9-1977, संख्या 2355 दिनांक 1-8-78, संख्या 53 दिनांक 27-12-78, संख्या 1397 दिनांक 12-4-1979, संख्या 2531 दिनांक 2-9-1979, संख्या 2577 दिनांक 11-9-80, संख्या 837 दिनांक 20-2-81, संख्या 469 दिनांक 23-1-1981, संख्या 1323 दिनांक 22-4-1981 तथा संख्या 1, 2, एवं 3 दिनांक 16-11-83)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1984

File No. CWC, III-HRA-1981 'C' | Est | 84.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulation, further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1966, namely :—

1. The regulation may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Amendment) Regulation, 1984.
2. It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1966, in regulation 15, in the Table to sub-regulation (2), under entries relating to class of city or town, under category 'A' for the letter and words "A—Calcutta, Madras and Hyderabad" the

letter and words "A—Calcutta, Madras, Hyderabad, Ahmedabad and Bangalore" shall be substituted.

V. K. PARTHASARTHY, Personnel Manager

Note : For earlier amendments please see :

(S.O. Nos. 3465 dated 23-9-1967; No. 2032 dated 31-5-1968; No. 478 dated 30-1-1969; No. 3146 dated 2-8-1969; No. 3665 dated 5-9-1969; No. 1652 dated 25-4-1970; No. 3242 dated 20-11-74; No. 1395 dated 9-4-75; No. 1553 dated 19-4-75; No. 3159 dated 26-9-1977; No. 2355 dated 4-8-78; No. 53 dated 27-12-1978; No. 1397 dated 12-4-1979; No. 2531 dated 2-9-1979; No. 2577 dated 11-9-1980; No. 837 dated 20-2-1981; No. 469 dated 23-1-1981; No. 1323 dated 22-4-1981 and Nos. 1, 2, 3 dated 16-11-1983.).

